

**राजस्थान विधान सभा**

**चतुर्थ सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

(I) श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

**3. याचिकाओं का उपस्थापन**

(1) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

- I- कल्प वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण देने एवं इसकी रक्षा हेतु काश्तकारों को अनुदान देने बाबत;
- II- जोधपुर शहर में लम्बे समय से दूषित पेयजल की सप्लाई होने से फैल रही बीमारियों को रोकने हेतु पुरानी जर्जर पाईप लाईनों को बदलकर नई पाईप लाईनें बिछाने के लिये वित्तीय स्वीकृति तुरन्त जारी करने बाबत; एवं
- III- विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विचाराधीन पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने बाबत।

(2) श्री सुशील कटारा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

- I- विधान सभा क्षेत्र चौरासी के उपखण्ड चिखली में 132 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना करने बाबत; एवं
- II- विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सीमलवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत।

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, शिव उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा, पाली जिले के ग्राम जाइन में नवनिर्मित फोरलेन के बीच अण्डर ब्रिज का निर्माण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा, केलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याता एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

#### **4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कम्पनियाँ(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2009-2010 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सोलहवां प्रतिवेदन;
- 2- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कम्पनियाँ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सत्रहवां प्रतिवेदन;
- 3- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं जयपुर, जोधपुर व अजमेर विद्युत वितरण निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (संख्या-2) वर्ष 2011-2012 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का अठारहवां प्रतिवेदन;
- 4- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 48, 49 एवं 50वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का उन्नीसवां प्रतिवेदन;
- 5- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियाँ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2001-02 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 53वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बीसवां प्रतिवेदन;
- 6- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 1995-96 एवं 1999-2000 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के क्रमशः 93वें एवं 95वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का इक्कीसवां प्रतिवेदन;
- 7- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियाँ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2003-04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 97वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बाईसवां प्रतिवेदन;
- 8- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2006-07 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 99वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तेईसवां प्रतिवेदन;
- 9- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियाँ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2006-07 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 101वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चौबीसवां प्रतिवेदन; एवं

10- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2014-15 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

**5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016**

**द्वितीय अवस्था**

**अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान**

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>		<u>मुख्य शीर्षक</u>
1.	24	-	शिक्षा, कला एवं संस्कृति
2.	47	-	पर्यटन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक : 19 मार्च, 2015